

जमा माल्य अनुसूची परा. हिंडसा

Notice placed
22-2-2018

[बोर्ड के आदेश सं० ४११६ बी० ता० १२-८-११ में कथनीवित]

[स्थायी रूप से रखा गया]

संयुक्त मुख्य-गृह और पलावरण ।

(जे में विन १२३ अतिरिक्त १२१२)

विभाग

SAR 6/13/12

सरकारी डक
होस्टेल

किराना खरिद

प्रभियोगागार में मान होने की तारीख

क्र. सं.	विवरण	दिनांक	मूल्य	व्यक्ति
				25.11.16
		22-4-20	18.4.18	19.12.16
		08/07/20	70.5.18	16.1.17
		12-03-21	11.7.18	13.2.17
		9-06-202	5.5.18	22.3.17
		8/9/202	28.14	17-4-17
		23/10/21	28.14	17.5.17
		22-12-2020	1.19	12.6.17
		22/1/22		12.7.17
		12/4/22	13-019	16.8.17
		21/6/22	133-019	
		20/8/22		13.8.17
		25-11-22		18.10.17
		10.1.23	7.8.19	29.11.17
		3.2.2023	25.5.4	10.1.18
		15.1.23		7.2.18
				14.3.18

आदेश-पत्रक

(देखें नियम 129 अभिलेख हस्तक)

आदेश पत्रक-ता०..... से 2013-14 तय हुआ
जिला-सिमडेगा, संख्या... SAR 06/2012-13 अस्थायी हुआ
केस का प्रकार:- बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 वनाम
फिरासुवा रवाइड्स
आदेश की क्रम सं० आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर की गई कार्रवाई
और तारीख

29-11-2013

श्री.मती. शूरस्यती देवी
पिता. पौत. विहारी राम भागत.
साकिन... मरुसोमी... थाना... डेडडूलागाँव
जिला-सिमडेगा ने आवेदन-पत्र दिया है कि निम्नलिखित
जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी... फिरासुवा रवाइड्स
पौत. अमल रवाइड्स

30-9-16
29-10-16
21-11-16

साकिन- भवनाड़ाया... थाना... डेडडूलागाँव
जिला-सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार
अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का
अनुरोध करते हैं।

ग्राम	खाता सं०-	प्लॉट सं०	रकबा
भवनाड़ाया	25	560	1-01 रब्बड़

उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक... 13-5-2013
को उपस्थापित करें।

4.13
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
सिमडेगा।

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं०-एस०ए०आर० 6/2013-14

दिनांक...18.01.2014.....

सरस्वती देवी

बनाम

फिरीरका खड़ियाईन

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक सरस्वती देवी, पिता-विष्णु राम भगत, साकिन-मरारोमा, थाना-टी०टांगर, जिला-सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी फिरीरका खड़ियाईन, पति-इमिल खड़िया, साकिन-भवनाडीपा, थाना-टी०टांगर, जिला-सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया है। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत वापस दिलवाने का अनुरोध किया है। वाद सं०-6/2013-14 के अनुसार प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्नवत है:-

मौजा	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
भवनाडीपा	25	560	1.01 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, टी०टांगर को इस न्यायालय के पत्रांक 114/विधि, दिनांक 02.05.2013, पत्रांक-402/विधि, दिनांक 16.09.2014, पत्रांक-263/विधि, दिनांक 20.07.2016 एवं पत्रांक-473/विधि, दिनांक 23.11.2016, 63/विधि, दिनांक 14.02.2017 एवं 142/विधि, दिनांक 17.04.2017 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचलाधिकारी, टी०टांगर के पत्रांक-214(ii), दिनांक 29.05.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा-भवनाडीपा, थाना नं०-138, खाता नं०-25, प्लॉट नं०-560, रकबा-1.01 एकड़ भूमि पर लगभग 35 वर्षों से दखल-कब्जा है। खाता नं०-25, प्लॉट नं०-560, रकबा-1.01 एकड़ भूमि खतियानी रैयत बासु कालो वल्द जट्टु कालो वो जयपाल कालो वो घुया कालो वो मंगरा कालो पेशरन जेठो कालो वो महिन्द्र कालो वो ललिन्द्र कालो वो अघुन कालो पेशरन छट्टू कालो कौम छोरा के नाम दर्ज है। आवेदिका का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है। पंजी-II रैयत खाता नं०-25 सरस्वती देवी, पति-विष्णु राम भगत के नाम दर्ज है। (पृष्ठ सं०-199) दाखिल-खारिज वाद सं०-23R27/1997-98 है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। दिनांक 16.08.2017 से अबतक उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि नहीं है। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का है। ऐसे स्थिति में वाद सं०-6/2013-14 को संचिकास्त किया जा सकता है। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।